



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092025-266463
CG-DL-E-26092025-266463

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4289]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2025/आश्विन 4, 1947

No. 4289]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025/ASVINA 4, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2025

का.आ. 4409(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, केंद्र सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 51(ई) दिनांक 13 जनवरी, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 13 जनवरी, 2005 में प्रकाशित में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्: उक्त अधिसूचना के अनुसूची में, क्रम सं. 1 और स्तंभ सं. 2 में शब्दों "जिला राजस्व अधिकारी, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, कलेक्टरेट, मदुरै" शब्दों के स्थान पर "विशेष जिला राजस्व अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, राष्ट्रीय राजमार्ग, मदुरै" और क्रम सं. 2 और स्तंभ सं. 2 में शब्दों "जिला राजस्व अधिकारी, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, कलेक्टरेट, डिंडीगुल" शब्दों के स्थान पर "विशेष जिला राजस्व अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, राष्ट्रीय राजमार्ग, डिंडीगुल" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii), दिनांक 13 जनवरी, 2005 को संख्या एस.ओ. 51(ई) दिनांक 13 जनवरी, 2005 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी।

[फा. सं. NHAI/Karur-Madurai section/km 301.0 to km 440/LA/TN/2004]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th September, 2025

S.O. 4409(E).— In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 51(E) dated the 13th January, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part–II, Section 3, Sub Section (ii), dated the 13th January 2005 –namely: In the Schedule to the said Notification S.No. 51(E) for the words “District Revenue Officer, Office of Collector & District Magistrate, Collectorate, Madurai” at S.No. 1 and Col.No. 2 the words “Special District Revenue Officer, Land Acquisition, National highways, Madurai” shall be substituted and for the words “District Revenue Officer, Office of Collector & District Magistrate, Collectorate, Dindigul, at S.No. 2 and Col. No. 2 the words “Special District Revenue Officer, Land Acquisition, National highways, Dindigul” shall be substituted.

Foot Note: The principal notification was published vide number S.O. 51(E) dated the 13th January, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part –II, Section 3, Sub Section (ii), dated the 13th January 2005.

[F. No. NHAI/Karur-Madurai section/km 301.0 to km 440/LA/TN/2004]

SHAIKH AMINKHAN, Director